संख्या-51/2015/ 2227सी0डी0/46-3-15-1000(68)/2014

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव ,
संयुक्त स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 अक्टूबर, 2015

वषयः- वत्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखा शीर्षक-2401 के मानक मद 16-व्यवसायिक तथा वशेष सेवाओं के लए भुगतान के लए अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्रा वधानित अतिरिक्त धनरा श रु0 8,00,000/-(रुपया आठ लाख मात्र) की वत्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त वषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क आपके पत्र संख्या-140/लेखा-बजट/2015-16, दिनांक 03.09.2014 के संदर्भ में तथा वत्तीय स्वीकृति वषयक शासनादेश संख्या-24/2015/767/46-3-15-1000(68)/2014, दिनांक 06.04.2015 के अनुक्रम में वत्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-23 (आयोजनेत्तर पक्ष) के अन्तर्गत वचनबद्ध व्यय को वहन करने हेतु लेखा शीर्षक-2401-फसल कृ ष कर्म के मानक मद-"16-यवसायिक तथा वशेष सेवाओं के लए भुगतान" के लए अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्रा वधानित अतिरिक्त धनरा श रु0 8,00,000/-(रुपया आठ लाख मात्र) को व्यय कये जाने की अनुमति सहित आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महादय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही व भन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनरा श का व्यावर्तन तथा पुन र्वनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से कया जायेगा तथा वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा ।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही व भन्न लेखाशीर्षकों/मदों की उक्त धनरा श का आवंटन एवं आवंटित एवं वतरित धनरा श के समक्ष कये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कया जाय। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनरा श के व्यय ववरण/उपयो गता प्रमाण पत्र शासन एवं वत्त वभाग एवं महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद को निय मत रूप से उपलब्ध कराने तथा लेखाओं का निय मत/त्रैमा सक मलान महालेखाकार, इलाहाबाद से अवश्य कराया जाय। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व वभागीय वत्त नियंत्रक का होगा।

---------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासकीय व्यय में मतव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय वत्त वभाग द्वारा मतव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वत्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008- मत0-1/2007, दिनांक 02 सतम्बर, 2008 का वशेष रूप से पालन कया जाये, ता क अपव्यय को रोका जा सके ।

5- वत्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की निय मत व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि कसी वनियोग की प्राथ मक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में कसी बड़े अन्तर की होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन व वत्त वभाग के संज्ञान में लाया जाये।

6- उक्त स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। गन्ना आयुक्त अनुदान/भारित वनियोगों के अन्तर्गत होने वाले सम्भा वत व्यय फेजिंग, वभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार करेंगे और जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वत्तीय वर्ष की अव ध के लये समान रूप से की जाय।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वत्तीय वर्ष **2015-16** के अनुदान संख्या-**23**(आयोजनेत्तर) के अधीन लेखा शीर्ष-**"2401**-फसल कृ ष कर्म **001-** निदेशन तथा प्रशासन **03**-गन्ना आयुक्त का अ धष्ठान के मानक मद **16**-व्यवसायिक तथा वशेष सेवाओं के लए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त स चव।

संख्या **-51/2015/ 2227(1)** सी0डी0 **/46-3-15-1000(68)/2014** तद्दिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत:-

1- प्रधान महालेखाकार (स वल आ डट) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वत्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वत्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-**6**
6- वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1/2**
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त स चव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in